an>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Central Universities (Amendment) Bill, 2014 (Discussion not concluded).

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we would take up Item No.12C of the Supplementary List of Business.

Hon. Members, before I call hon. Minister of State in the Ministry of Human Resource Development to move motion for consideration of the Central Universities (Amendment) Bill, 2014, I have to inform the House that Shrimati Smriti Zubin Irani, hon. Minister of Human Resource Development *vide* communication dated 24 November, 2014, has intimated that the President, having been informed of the subject matter of the Central Universities (Amendment) Bill, 2014, recommends to the Lok Sabha the consideration of the Bill under article 117(3) of the Constitution of India.

Hon. Members, before we take up consideration of the Central Universities (Amendment) Bill, 2014, we have to allot time for its discussion. If the House agrees, we may allot 2 hours for this.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, we discussed this in the Business Advisory Committee and one hour was allotted for its discussion.

HON. DEPUTY SPEAKER: It is all right. I have no objection. We would discuss it for one hour and afterwards we would see.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं *

"That the Bill further to amend the Central Universities Act, 2009, be taken into consideration."

दि सैंट्रल यूनीवर्सिटी बिल, 2014 एक्ट 2009 के तहत बारह राज्यों में सैंट्रल यूनीवर्सिटी स्थापित हुई थीं। बिहार में उच्च शिक्षा और बिहार जैसे बड़े राज्य को और उसकी आबादी को देखते हुए दो सैंट्रल यूनीवर्सिटी बनाई गई हैं। एक सैंट्रल यूनीवर्सिटी है जो साउथ बिहार में है और दूसरी महात्मा गांधी सैंट्रल यूनीवर्सिटी है। मैं सदन के समक्ष बिल चर्चा हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं और सदन का आशीर्वाद चाहता हूं कि सर्वसम्मति से बिल पास हो।

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Central Universities Act, 2009, be taken into consideration."

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आज दि सैंट्रल यूनीवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, 2014 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभारी हूं कि यह बिल केवल चम्पारण या बिहार के लिए ही महत्वपूर्ण बिल नहीं है, बल्कि यह महात्मा गांधी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। वर्ष 1917 में जब मोहनदास कर्मचंद गांधी जी चम्पारण गए थे और वहां उन्होंने वहां जो काम किया था, उसी के बाद विश्व ने और भारत ने उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना था। वर्ष 2005 तक बहुत शर्मनाक स्थिति थी कि वहां आज भी ब्लाक में एजुकेशन लेवल बहुत कम है। चम्पारण में कम से कम एक दर्जन ऐसे ब्लाक हैं जहां परसेंटेज तीस परसेंट से भी कम है। वर्ष 2005 में हमारी सहयोगी सरकार बनी और उसके बाद शिक्षा में परिवर्तन आया। जब यहां यूनीवर्सिटी खुलने की बात हुई तो एक बहुत अजीबोगरीब किस्सा हुआ। उस समय सबसे ज्यादा योगदान माननीय राधामोहन सिंह जी का, माननीय सुशील मोदी जी का था जिन्होंने कहा कि यह यूनीवर्सिटी मोतीहारी में खुलनी चाहिए और बिहार सरकार ने इसे रिकमेंड करके यहां भेज दिया। उस समय की सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि हम मोतीहारी में इसे खोलने के लिए तैयार नहीं हैं और इसका कारण यह बताया कि वहां कोई हवाई अड्डा नहीं है। क्या हवाई अड्डा शिक्षा का कोई आधार बनता है? माननीय राधामोहन जी के नेतृत्व में हम सभी ने बहुत लड़ाई लड़ी और चम्पारण के बहुत सारे विधायक खास कर प्रमोद कुमार जी, सचेन्द्र जी, रामचन्द्र साहनी जी, अजय सिंह जी, कृषनंदन पासवान जी और दिल्ली के पूर्वांचल समाज के लोगों ने दिल्ली में बहुत बड़ा धरना दिया। उसके बाद तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर तैयार हुए लेकिन आधे-अधूरे मन से तैयार हुए। हमारे यहां कहावत है, जिसे मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन दूसरी लाइन यह है कि " हेराफेरी से कभी नहीं जाता है। " कोई चोरी से चला जाता है लेकिन हेराफेरी से नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि हम बिहार में दो केंद्रीय विद्यालय देंगे लेकिन आधा-आधा करके देंगे और वह भी इन लोगों ने पिछली सरकार में पास नहीं किया। इलेक्शन में यह हमारे यहां का सबसे बड़ा मुद्दा था और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत आभारी हूं माननीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी का और कृषि मंत्री माननीय राधामोहन सिंह का कि जब बिहार के सांसदों की बैठक प्रधानमंत्री जी के साथ हुई तो सबसे पहले इस चर्चा को रखा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बिल पास होना चाहिए और पहले सेशन में ही पास होना चाहिए। मैं माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभारी हूं कि वे तैयार हुए और पिछले सदन में बिल लाए और उसके बाद स्टैंडिंग काउंसिल में गया। पिछली सरकार जो कहती थी कि हम आधे पैसे देंगे, उसके बदले दो यूनीवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया गया है। चम्पारण की जनता के लिए जो एक बहुत बड़ा सहयोग के रूप में है, क्योंकि हमारा जिला शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी गांधी जी के एक सौ वर्षों के बाद भी हम बहुत तरक्की नहीं कर पाए हैं, जो कि हमें करनी चाहिए थी। इस बिल से हमारे जिले को न केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालय मिल रहा है, बल्कि आज तक हमारे यहां कोई हायर एजुकेशन की संस्था नहीं थी, कॉलेज लेवल तक ही थी, उसका भी निर्माण हो रहा है। इससे पश्चिम चम्पारण और पूर्वी चम्पारण जिले बहुत आगे बढ़ेंगे।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो स्किल डेवेलपमेंट के भी मिनिस्टर हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कि महात्मा गांधी और पूजनीय बा ने हमारे यहां लगभग 56 बुनियादी विद्यालय खोले। जहां पर बच्चों को बा ने खुद पढ़ाया, कस्तूरबा जी और महात्मा गांधी जी ने खुद बच्चों को पढ़ाया। वे ऐसे विद्यालय थे, जिनमें तकनीकी शिक्षा भी साथ रहती। आज जो सोच माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की है, वह सौ वर्ष पहले मोहन दास कर्मचंद गांधी जी की सोच थी, जब वह चम्पारण गए थे। वहां पर वैसे 56 से ज्यादा बुनियादी विद्यालय हैं, जिन सब की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के अधीन में है। वहां पर उसका डेवेलपमेंट करना और एक-एक जमीन में महात्मा गांधी के अनुरोध पर उस समय दानकर्ताओं ने 15 एकड़, 20-20 एकड़ जमीन एक-एक बुनियादी विद्यालय में दी।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह भी अनुरोध रहेगा कि उन सभी विद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के साथ शामिल किया जाए और जो नरेन्द्र भाई मोदी जी का स्किल इंडिया का सपना है, उस जमाने में महात्मा गांधी जी ने लोहे, पीतल, लकड़ी आदि की कारीगरी सिखाने का काम किया, इन सब चीजों की हरेक विद्यालय में कारीगरी सिखाएं, कि बच्चे पढ़ाई भी करें और कारीगरी भी सीखें, जिससे कि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। उस सोच के साथ उन्होंने विद्यालय खोला था, लेकिन आज उस विद्यालय की बहुत बड़ी जमीन तो है, परन्तु उसमें शिक्षक नहीं हैं। उनकी जो सोच थी कि इसमें कारीगरी भी सिखाई जाए, जिससे कि बच्चों को अपने कमाने का साधन भी मिल सके। वह शिक्षा धीरे-धीरे बंद हो गई। इसलिए मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और स्किल डेवेलपमेंट मंत्री, श्री राजीव प्रताप रूडी जी से अनुरोध होगा कि बुनियादी विद्यालयों को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शामिल करें। माननीय राधा मोहन सिंह जी के प्रयास से दूसरे सेशन में यह बिल पास हो रहा है, उसके लिए चम्पारण की जनता कृषि मंत्री, माननीय राधा मोहन सिंह जी की भी ताउम्र आभारी रहेगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बिल का पूरा समर्थन करते हुए यह अनुरोध करता हूं कि इस सेंट्रल विश्वविद्यालय को अगले सत्र से ही चालू किया जाए, जिससे कि पढ़ाई शुरू हो सके, जमीन वहां पर तैयार है। सन् 2017 में जब महात्मा गांधी जी के एक सौ वर्ष पूरे होंगे, उस समय माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी, माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी, माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी पूरी की पूरी व्यवस्था के साथ उस केन्द्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन करें, जिससे कि सही मायने में महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय अमेंडमेंट बिल 2014 का समर्थन करता हूं।

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I, on behalf of the Biju Janata Dal, rise to support the Central University (Amendment) Bill, 2014. We are very happy about it because Champaran is the place from where the Father of the Nation, Mahatma Gandhi had experimented with his revolution so to say. Therefore, when this proposal has come to the floor of the House, we happily support it. This is one part.

Here, the hon. Minister has expressed or said that they have already set up 12 Central Universities. One Central University is there in Koraput, Odisha which is the most backward district. The then Government has decided for the upliftment of that area. But unfortunately, when you are going to set up a Central University, you should focus your attention on some points like what is the condition of the Universities that we have established so far.

For example, consider the University at Koraput. The establishment of the University started in 2009 and was completed in 2010. The management is headed by the hon. Minister. For the past four to five years, the Managing Committee has not met even once where the hon. Minister is the Chairperson.

I would not blame the present hon. Minister. When a decision has been taken in this regard, why are these things not looked into properly?

We are establishing Universities. There is a set pattern in this regard. There is a building established for it. When we establish a University, we should see whether we have certain requisites or not. The Government of India should take care of those Universities as their children.

There is no adequate staff in that University. Out of, I think, 26 or 32 Departments, five Departments do not have a single professor in that University. I must thank our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, that Government of Odisha who has donated hundreds of acres of land and adequate donation as committed by that Government. They have fulfilled that commitment. This is the situation. When the then Vice Chancellor of that University was in position, for how many days was she there? It should be looked into.

Secondly, I am sorry to say that the National Convocation was conducted not in Koraput but in Bhubaneswar, the State Headquarters. So, my submission to the august House and the hon. Minister is, we welcome even establishment of 20 Universities. But do not neglect the students. If you are not able to take care of them, then let us not move in that direction.

My submission is, let us pass the Bill and start two Universities in Bihar. But the Universities that have been established years before should be taken care of fully. We should give all care to them so that those Universities are run properly. If we are not able to do it, then please do not move in that direction. State Universities are there. There is a University in Berhampur, the southern part of my State. It is nearer to that. To my knowledge, around Rs. 300 crore have been spent on that University. If students and staff are not there, then what is the use of the university .

My suggestion is, when you are spending crores of rupees, and when the Universities are not going to run properly, let us merge those universities with the nearby Universities and make them functional as full-fledged Universities.

Again, with these suggestions, I support this Amendment Bill, 2014.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now intervention by hon. Minister of Agriculture, Shri Radha Mohan Singh.

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से बिहार राज्य में एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना आज की सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है। इसकी स्थापना मोतीहारी में होगी, महात्मा गांधी के नाम से होगी, निश्चित रूप से देश के यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और मानव संसाधन मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

चंपारन के विषय में हमारे मित्र संजय जायसवाल जी ने बताया, यहां तक कि ओडिशा के मित्र ने चंपारन और महात्मा गांधी के संबंध की चर्चा की। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के हर जागरुक नागरिक को पता है कि देश जब गुलाम था तो महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत यहीं से ही की थी। उन्हें सत्याग्रह का औजार मोतिहारी में प्राप्त हुआ था और देश को आजादी मिली थी। मैं आपके माध्यम से देश और सदन को बताना चाहता हूं कि संशोधन बिल की जरूरत नहीं पड़ती। 2009 में मैं लोकसभा में था, उस समय की सरकार ने निर्णय लिया था कि देश के हर राज्य में कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बिहार सरकार को ऐसा प्रपत गया कि बिहार के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। ज्यों ही वह पत गया उसके बाद बिहार विधान सभा ने अपनी बैठक में प्रस्ताव पास किया कि बिहार के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, चंपारन में महात्मा गांधी के नाम पर होगा। बिहार विधान सभा ने इसे पास किया और फिर विधान परिषद् ने भी इस प्रस्ताव को पास किया। इसमें सब दल के विधायक थे। इस संशोधन की आज जरूरत नहीं पड़ती। बिहार विधान मंडल का प्रस्ताव पास हुआ, भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री के पास भेजा गया। स्वयं मुख्यमंत्री आए, सदन में होने के नाते मुझे पत लिखना पड़ा। इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने साफ-साफ कहा कि यह न तो मोतिहारी में होगा और न ही महात्मा गांधी के नाम से होगा। मैंने उनको पत लिखा और चंपारन और महात्मा गांधी के महत्व को बताया। यह पता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई थी इसलिए स्वाभाविक हो कि उनको महात्मा गांधी और चंपारन का ज्ञान न हो इसलिए मैंने उनको लंबा-चौड़ा पत दिया। चार साल में चार बार पत दिया और चारों बार उत्तर था कि मोतिहारी में स्थापित नहीं होगा और महात्मा गांधी के नाम से तो दूर-दूर तक नहीं होगा। पूरे बिहार में जन आंदोलन हुआ। सब विधायक सडक पर आए। इस सदन में बिहार के सांसद, चाहे जिस भी दल के थे, सबने आवाज उठाई। जब यहां आवाज नहीं सुनी गई तब बिहार की जनता सड़क पर थी, तो दिल्ली में बिहारी जनता सड़क पर आ गई। सांसद भी सड़क पर गए। फिर मंत्री जी ने कहा कि नहीं खोलूंगा। तब बिहार की सरकार ने कहा कि बिहार में कहीं जमीन नहीं दी जाएगी। इसके बाद भारत सरकार के उस समय के मंत्री जी ने कहा कि बिहार में जमीन न दी जाए, ठीक है लेकिन मैं महात्मा गांधी और मोतिहारी के नाम पर नहीं खोलूंगा, गया में भारत सरकार की जमीन है वहां खोल देंगे लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर मोतिहारी में नहीं खोलेंगे। ऐसा निर्णय यहां की सरकार

ने कर लिया और 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बिहार के लिए सैंक्शन हुआ था, गया के अंदर स्थापित हुआ। इसके बाद सड़क और सदन में जब आंदोलन काफी तेज हुआ, तब कैबिनेट ने डिसीजन लिया किया कि एक दक्षिण बिहार में होगा जिसका नाम दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया होगा और दूसरा उत्तर बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी होगा। इसके बाद फिर आंदोलन शुरु हो गया कि मोतिहारी का विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर होना चाहिए। हमने फिर से पत्र दिया और नियम 377 में कई बार उठाया लेकिन बार-बार यही उत्तर आया कि महात्मा गांधी का नाम इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जिस पर पूरा बिहार एक मत था, सभी राजनीतिक दल एक मत थे, पूरा बिहार विधान मंडल एक मत था, उसे यदि मान लिया गया होता, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती और उस विश्वविद्यालय को वहीं स्थापित कर दिया गया। जब कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उत्तर बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में स्थापित होगा, तो इस निर्णय के बाद सारे सांसद दौड़ते रहे कि इसे सदन में लाया जाए और इस विधेयक को यहाँ पास कराया जाए। लेकिन महात्मा गांधी और मोतिहारी से पता नहीं कितनी घृणा थी कि हम लोग सदन का सत्र समाप्त होने के दो दिन पहले बहुत सारे विधेयक पास किये गये, लेकिन उसे सदन में नहीं लाया गया।

आज निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को तथा श्रीमती स्मृति ईरानी जी को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा, हमारे चम्पारण के सांसद श्री संजय जायसवाल , श्रीमती रमा देवी जी तथा उस समय श्री बैद्यनाथ कुशवाहा जी भी थे, उस समय इन सारे लोगों ने संघर्ष किया और सबके परिश्रम का यह परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने इसके महत्व को समझा, जब सरकार बनी, तो पहले सत्र में ही कैबिनेट ने निर्णय लिया कि महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मोतिहारी में की जाएगी। इसके मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वैसे लोगों के पास नेतृत्व न जाए, जो महात्मा गांधी के महत्व को भी नहीं समझते हैं और चम्पारण के महत्व को भी नहीं समझते हैं। ईश्वर वैसे लोगों को कभी महत्वपूर्ण स्थान पर न लाए, ऐसी कामना करते हुए और प्रधानमंत्री जी तथा मानव संसाधन मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं तथा पूरे सदन से यह उम्मीद करता हूं कि इस ऐतिहासिक काम को सर्वसम्मति से करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI BALKA SUMAN (PEDDAPALLI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

At the very outset, I would like to say that we appreciate the decision of the Government of India to start another Central University in Bihar which is one of the backward States of this country. The territorial jurisdiction of the two proposed Universities of Bihar has been clearly declared as North of the Ganges and South of the Ganges of the State of Bihar. The name of the new University which is in the name of Mahatma Gandhi is also appreciated. It would have been better had the Government of India taken a decision to start two Universities one in Telangana and the other in the State of Andhra Pradesh as promised in the Andhra Pradesh Reorganisation Act along with this Bill. We, the Members of Parliament belonging to Telangana and Andhra Pradesh, will be the happiest persons for that. Now, the Government of India should take necessary steps to establish Central Universities in each and every State of this country within the territorial jurisdiction of each State.

Sir, on behalf of my TRS Party, we also welcome and support the decision taken by the Central Government to establish a Central University in the backward State like Bihar. Thank you.

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी श्री राधामोहन सिंह जी ने बहुत ही विस्तारपूर्वक बताया। चूंकि मैं उत्तर बिहार का ही रहने वाला हूं। मैं दार्जिलिंग से सांसद हूं किन्तु उत्तर बिहार में मेरा घर है। हमारी सरकार ने यह स्वागतयोग्य कदम उठाया है। हमारी मंत्री महोदया उसके लिए धन्यवाद की पात्री हैं। महोदय, मैं उत्तर बिहार का वासी होने के नाते इस बिल के संबंध में धन्यवाद करता हूं, लेकिन उसके साथ ही मैं एक मांग भी रखना चाहता हूं। वर्ष 2011 में जिस वक्त गोरखा जनमुक्ति मोर्चा वहां पर आंदोलनरत था, उस वक्त भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने एक फैसला लिया था और एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट उनके बीच साइन हुआ था, जिसके माध्यम से गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट भी पास हुआ था, उसके तहत उन्होंने आश्वस्त किया था कि दार्जिलिंग में एक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, पर तत्कालीन यूपीए सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया और हम वंचित रह गये। पर हमारी अवस्था थोड़ी सोचनीय इसलिए भी है कि एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में है, जिसका नाम विश्व भारती शांति निकेतन है, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आरंभ किया गया था, वह केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित है। दुर्भाग्य इस बात का है कि पिछले तीन महीनों में वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों से जो छात्राएं पढ़ने आती हैं, वे ज्यादातर सिक्कम, दार्जिलिंग, कर्शियांग, कलिमपोंग की छात्राएं पढ़ने जाती हैं, वहाँ पर एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो आजकल एक फैशन-सा हो गया है, जब हम छात्र-जीवन में रहते थे, जिन शब्दों का प्रयोग करने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी और जिन शब्दों को पढ़ने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी, आज वे अखबार की सुर्खियाँ हैं या टेलीविजन के हेडलाइंस हैं। गैंगरेप या गणधर्षण इस तरह की बातें बोलने में भी हमको शर्म आती थी परन्तु आज वह आज एक पुरातन सा हो गया है और विश्वविद्यालय भी इनसे अछूते नहीं हैं। खासकर विश्वभारती और शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय में सिक्किम की एक लड़की के साथ जो कुछ हुआ, जब न्याय की गुहार की गयी, तो वहां पर जो वाइस-चांसलर हैं, पहले जब वह कहीं और डायरेक्टर थे, उनके ऊपर सेक्सुअल हॉरसमेंट का आरोप था, उसके बावजूद तत्कालीन सरकार ने ऐसे आदमी को, जिस पर कितनी कंप्लेंट्स और इनक्वायरीज एवआरडी मिनिस्ट्री में फाइल हुई हैं, जिनके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था, उसके बावजूद उनको वहां वाइस-चांसलर बनाया गया। जब इस लड़की ने उनके सामने गुहार लगाई, तो उस पर उसे और उसके मां-बाप को इतना धमकाया गया कि अपनी कंप्लेंट वापस लो। अंततः वह लड़की अपने मां-बाप के साथ विश्वविद्यालय छोड़कर चली गयी। उसके बारे में सुनकर अन्य बहुत सी लड़कियां विश्वविद्यालय छोड़ने की परिकल्पना कर रही हैं।

ऐसी ही एक घटना पश्चिम बंगाल के एक अन्य विश्वविद्यालय जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी हुई। वहां भी एक लड़की के साथ ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने न्याय की गुहार की तो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने लोगों एवं पुलिस को भेजकर आन्दोलनरत छात्र-छात्राओं की पिटाई करके रात में जेल में बंद कर दिया। इन दोनों विश्वविद्यालयों के छात्र एवं छात्राएं अभी भी आंदोलनरत हैं। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि हम शिक्षा के लिए जो भी संस्थाएं बनाते हैं, वहां पर जो वाइस-चांसलर एवं अधिकारी होते हैं, उनका काम होता है इथिकल वे में वहां पर काम करना, एजुकेशन देना, एजुकेशन को बढ़ावा देना और उसके साथ ही साथ उनको सुरक्षा भी देना। उनको वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा भी होना चाहिए, लेकिन इन दोनों विश्वविद्यालयों में वे लोग अपना भरोसा खो चुके हैं और आंदोलनरत हैं और कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं है। केंद्रीय सरकार कम से कम शांतिनिकेतन के बारे में विचार करे कि उस लड़की के साथ क्यों अन्याय हुआ। वहां जो कमेटी बनाई गयी, उसमें भी वे ही लोग आए, जो वाइस-चांसलर का समर्थन करते रहे। यहां पर भी जो कमेटी बनाई गयी, उसमें वैसे ही लोग आए जिन्होंने उनका समर्थन करना था और असत्य आरोप लगाकर छात्रों पर तरह-तरह के केसेज बनाए गए। यह दुर्भाग्यजनक है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि अविलम्ब इस पर कुछ कार्रवाई भी करें। आप विश्वविद्यालय बनाइए, एक अच्छा कदम है, किन्तु विश्वविद्यालय का परिवेश भी अच्छा होना चाहिए, जहां हर मां-बाप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए भेजे, न कि उनकी जिन्दगी खराब करने के लिए भेजे।

इसके साथ ही, मैं पुनः अपनी दार्जिलिंग के केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को दोहराते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय मानव संसाधन मंत्री एक कल्पवृक्ष जैसे हैं, अगर कुछ कल्पना करें, तो दे देते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैंने कुछ मांग की थी, उन सभी के लिए वह राजी हो गयी हैं। मुझसे गलती हो गयी कि मैंने विश्वविद्यालय नहीं मांगा था।

महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र की आबादी 20 लाख है और विकास के मामले में 543 संसदीय क्षेत्र में से हम 543वें स्थान पर आते हैं। मेरे क्षेत्र में दो जिले हैं यथा नवरंगपुर और मालकानगिरी (ओडिशा) और तीसरे जिले का एक छोटा हिस्सा है। हमारे दोनों जिले भारत के सबसे कम शिक्षित दस जिलों में शामिल हैं। अभी तक हमारे यहां लिटरेसी रेट 48

प्रतिशत है। आज के दिन वहां एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। मैडम ने दो जिलों के लिए एक-एक मॉडल डिग्री कॉलेज के लिए सैंक्शन दी है, वे पहले सरकारी डिग्री कॉलेज होंगे। वहां इंस्टीट्यूशन्स की बहुत कमी है। हमने देखा है कि आल इंडिया का अगर एवरेज लें, तो मेरा क्षेत्र एक विश्वविद्यालय डिजर्व करता है। बिहार के लिए मैडम ने दूसरे विश्वविद्यालय के लिए एग्री किया है, उसी तरह से ओडिशा में मेरे क्षेत्र के लिए एक विश्वविद्यालय दें। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूंगा। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी बहुत से काम बाकी हैं, उनको पूरा करें। जैसे फैकल्टी में 66 पोस्ट्स हैं, उनमें से सिर्फ 18 पोस्ट्स ही फिल-अप हुई हैं और बहुत विभाग अभी खुले नहीं हैं। उसको फुल-फ्लेज बनाया जाए। मेरे क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय के बारे में विचार करें। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

DR.K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): Hon. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Central Universities (Amendment) Bill brought by the Government.

The Central Government enacted the Central Universities Act in the year 2009 to make big institutes of learning and research institutes as Central Universities. This Act is now being amended to add one more Central University in the State of Bihar.

We are all aware that Bihar is one of the most backward States in the country. In order to cater to the educational needs of the students of Bihar, the Government is now setting up one more Central University in the State of Bihar. The existing university in Bihar will cater to the needs of students of South of River Ganges. Now, this institute, which is being newly created in the name of the Father of the Nation Mahatma Gandhi, will cater to the educational needs of the students living in North of River Ganges. This is a welcome step.

Sir, knowledge is power, knowledge is required for the people to uplift their economic status and knowledge is also necessary for increasing the earning of the people. This type of institution is a necessity all over the country. Like setting up this Central University in Bihar, I would request the hon. Minister of Human Resource Development to turn her attention towards Tamil Nadu also. There is no university in our Villuppuram district in Tamil Nadu. I would request the hon. Minister to set up a Central University in our district so as to cater to the educational needs of the people of our district.

With these few words, I support this Bill.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जैसा अभी आदरणीय राधामोहन सिंह जी बता रहे थे, गांधी जी ने वहां से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की और आदरणीय राधामोहन सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के सारे सांसदों एवं विधायकों ने अपने देश की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी गांधी जी के नाम पर विश्वविद्यालय प्राप्त करने के लिए, जो वहां की जरूरत भी थी। मैं उनको बधाई देता हूं कि अंततः जीत हुई है और केंद्र की हमारी सरकार ने वहां विश्वविद्यालय देने का निर्णय किया है, जिसको आज इस विधेयक के माध्यम से संसद स्वीकृति दे रही है।

मैं केवल दो-तीन मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालय होना अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसकी आबादी 20 करोड़ के लगभग है, जहां से 80 सांसद चुनकर आते हैं वहां तीन विश्वविद्यालय हैं। एक वाराणासी में, एक अलीगढ़ में और तीसरा इलाहाबाद में है। लेकिन उच्च शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है और यदि मैं मेरठ की बात कहूं तो मेरठ विश्वविद्यालय में आज लगभग 3 लाख छात्र हैं जो उससे सम्बद्ध हैं और आप यदि उसका निरीक्षण कराएं तो वहां इतनी अव्यवस्था है और उसका कारण है कि वहां इतनी बड़ी संख्या छात्रों की है, इतना बड़ा क्षेत्र उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है कि परीक्षाओं का संचालन करना या किसी भी प्रकार की शिक्षा-विधि का नियमित करना कठिन हो गया है। माननीया मंत्री जी भी बैठी हुई हैं और राज्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि मेरठ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। वहां पर कोई और विश्वविद्यालय भी खोला जाए जिससे छात्रों को ठीक प्रकार की शिक्षा सुलभ हो सके। मुझे उम्मीद है कि गांधी जी की तरह हमें उसके लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा और हमारी यह जायज मांग स्वीकार हो जाएगी। मेरठ एक महत्वपूर्ण नगर है और वहां पर शिक्षा का केन्द्र अगर इस प्रकार का होगा तो छात्रों को उसका निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।

SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to speak on the Central Universities (Amendment) Bill. In my constituency, there is one Central University called Tezpur University. Everything is not well in that University. I will be briefing in writing to the hon. Minister in course of time in this regard. But there was a proposal taken by the Central University Tezpur for establishment of its campus at Jonai. Jonai is on the border of Arunachal Pradesh which is primarily dominated by tribals. It is educationally backward and it is a flood affected area. It should have been taken up, but till today the project has not started. The people are suffering. Educationally they are very backward. They are ravaged by floods and erosion.

So my request to the hon. Minister would be to take up the issue of establishment of the campus of Tezpur University, a Central University, at Jonai which is in Dhemaji District of Assam. That is my request. Thank you.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक हमारी सरकार और हमारी तेजस्वी माननीया मंत्री जी द्वारा लाया गया है उसका समर्थन करते हुए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2009 में जब मैं बिहार की कैबिनेट में मंत्री था तो मुझे गर्व है कि उस कैबिनेट के मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते वहां से हम लोगों ने महात्मा गांधी के नाम से इस विधेयक को पास करके सेंटर को भेजा था। यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे मोहन सिंह जी ने इसे लेकर के केन्द्र में भी आंदोलन चलाया और अंततः उस शासन में तो नहीं किंतु हमारे शासन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने महात्मा गांधी के नाम पर यह विश्वविद्यालय हमें प्रदान किया है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

आप जानते हैं कि चंपारण महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि रही है और नील का आंदोलन अंग्रेजों के वक्त में किया था तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था। हमारे बिहार की आबादी करीब साढ़े दस करोड़ की है और वहां दो विश्वविद्यालय हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि बिहार ज्ञान का केन्द्र है और ज्ञान और विज्ञान की उपज उस बिहार की धरती से हुई है। उस ज़माने में भी, सात सौ ईसा पूर्व का आप उदाहरण ले लीजिए, वहां नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे, लेकिन आज हमें खेद है कि केवल नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। एक समय नालंदा खंडहर की स्थिति में पहुंच गया था, उस समय पाल वंश के द्वारा पोषित विक्रमशिला विश्वविद्यालय से नालंदा विश्वविद्यालय

का संरक्षण होता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विश्व से दस हजार छात्र आते थे। यहां वेद और ज्ञान का अध्ययन होता था। यह तंत्र और साधना का केन्द्र था। आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय यूं ही पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से गुज़ारिश करना चाहूंगा, इस समय हमारी सरकार है और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि भागलपुर जो कि हमारी जन्मभूमि है और बक्सर हमारी कर्मभूमि है जो कि मिनी काशी के रूप में भी जाना जाता है। मेरा आग्रह है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की शाखा हमारे बक्सर में, जहां मर्यादा पुरुषोतम राम को ऋषि विश्वामित्र ने शिक्षा देने का काम किया था तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने ताड़का का वध किया था और अहिल्या का यहां उद्धार किया था। मैं चाहूंगा कि बक्सर में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की शाखा खोली जाए और जैसा कि मैंने पहले कहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर विकसित करने का काम किया जाए। पूरे विश्व में तीन विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा, विक्रमशिला और तीसरा तक्षिशिला जो कि पाकिस्तान में चला गया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये दोनों प्राचीन विश्वविद्यालय भारत की संस्कृति और सभ्यता है और आज जो ज्ञान और विज्ञान पूरे विश्व में छाया हुआ है, ये उसकी जननी है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत बधाई देते हुए, खास कर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके माध्यम से यह विधेयक केबिनेट में पास किया गया, मैं उनको बधाई देता हूं। मैं भाई सिंह जी को बधाई देता हूं और विशेष कर हमारी शिक्षा मंत्री जी इस बिल को लेकर आयी हैं, इसके लिए मैं उनको कोटिशः बधाई देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कहीं इस विषय पर सत्याग्रह न हो जाए, चूंकि वहां वर्षों से लगातार इसकी मांग की जा रही है, क्योंकि नालंदा को विश्वविद्यालय बनाया गया और विक्रमशिला को छोड़ दिया गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में सुविख्यात किया जाए। यदि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की ब्रांच बिहार में खुल सकती है तो काशी विश्व हिन्दू विश्वविद्यालय की ब्रांच मिनी काशी कहलाने वाले बक्सर में क्यों नहीं खुल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पहली केबिनेट में इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मुझे आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि महात्मा गांधी के देश में, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनकी कर्मभूमि पर कोई भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय या संस्थान स्थापित हो और उसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाए, इसके लिए भी वहां के लोगों को आंदोलन करना पड़े, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा था। लेकिन मुझे खुशी है और मैं अपनी सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, जिसने इतना अच्छा निर्णय लिया। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय जहां स्थापित है, वह मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद बिहार में है। मेरे संसदीय क्षेत्र के गया जिले में टिकारी प्रखंड में वह स्थल है जहां इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। मैं सुझाव के साथ कहना चाहता हूं कि अभी उस स्थल पर कोई शैक्षणिक या दूसरी कोई गतिविधि नहीं चल रही है। गया जिले में और पटना में इसका कार्यालय जरूर है, लेकिन अभी उस स्थल पर कोई कार्य शुरु नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहूंगा कि जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके, उस स्थल पर जो मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद में गया जिले में स्थित है, जितनी जल्दी उस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण आदि जो भी कार्य हैं, उनको पूरा किया जाए ताकि वहां पठन-पाठन का कार्य शुरु हो जाए। यही मांग रखते हुए मैं एक बार अपने नेता और माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी तथा साथ ही शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी को धन्यवाद एवं बधाई देता हूं और साथ ही यह भी कहूंगा कि महात्मा गांधी जी के नामकरण के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यहां तक कि आंदोलन भी हमारे माननीय मंत्री राधा मोहन बाबू जिनके इलाके में यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, उन सभी को बधाई देना चाहूंगा। इन्ही शब्दों के साथ मुझे आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही): महोदय, मैं भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री और कृषि मंत्री की तरफ से लाये गये इस बिल का स्वागत इसलिए करता हूं कि महात्मा गांधी के नाम पर जिस विश्वविद्यालय की स्थापना चम्पारण में हो रही है, उसका एक महत्वपूर्ण इतिहास है। नीलका आंदोलन उसी चम्पारण से शुरु हुआ था जहां अंग्रेजों ने नील की खेती करने के लिए तिनकठिया कानून बनाया था और तिनकठिया कानून लोगों को, किसानों को पीड़ित करने का एक सबसे बड़ा हथियार होता था। मैं भारत सरकार के दोनों मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी के नाम पर चलने वाला वह स्वदेशी आंदोलन जिसके आधार पर देश को आज़ाद करने का रास्ता दिखाया था, भितिरवा गांव उसका केन्द्र था। राधा मोहन सिंह जी जानते होंगे और भितिरवा में आज भी बापू का आश्रम है। मैं वहां पहले दो तीन साल से नहीं गया हूं। उस विश्वविद्यालय के अंदर भितिरवा को केन्द्र में सम्मिलित रखा जाएगा तो बड़ी कृपा होगी। मैं एक निवेदन और करूंगा कि महात्मा गांधी के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है तो उस विश्वविद्यालय के अंदर तिनकठिया कानून के विरोध में चलने वाले आंदोलन का एक सत्याग्रह भवन भी बनेगा तो भारत के उस आंदोलन के इतिहास में जरूर रहेगा। मैं भारत सरकार के प्रधान मंत्री और दोनों मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भविष्य के भी स्वदेशी आंदोलन की एक रेखा खींच दी है कि अगर भारत के भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो भारत का संसदीय इतिहास हमें मार्गदर्शन करेगा और उसके विरोध में भी खड़ा करने की ताकत मिलेगी। महात्मा गांधी के नाम पर जो लोग विश्वविद्यालय का प्रतिवाद कर रहे थे, कृषि मंत्री जी उनको श्राप दे रहे थे। कृषि मंत्री जी, भारत की संसद के इस प्रांगण में किसी भी राजनैतिक दल के पास इतनी ताकत नहीं है जो महात्मा गांधी जी को भुला दे या महात्मा गांधी को भुलाने की ताकत महसूस करे। दुनिया के लोग महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। जिस बात को रखने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी दुनिया के देशों में जा रहे हैं और गांधी के अनुसरण के रास्ते की चर्चा कर रहे हैं तो दुनिया उसकी वाहवाही करती है। यहां बैठे हुए लोगों की और चाहे वहां बैठे हुए लोगों की कितनी ताकत होती है जो गांधी के नाम पर प्रतिवाद कर दें और उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की नाकारी कर दे। वही कारण है और उसी का आज दुष्परिणाम है कि वे वहां बैठे हैं जहां विपक्ष के नेता के लिए संख्या पूरी नहीं हो रही है।

18.00 hrs

क्षमा करिये, आप श्राप मत दीजिए, आप सरकार में हैं, श्राप देने के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार इन्हीं जैसे काम करने के लिए होती है, आप सरकार के मंत्री हैं। आपसे यही निवेदन है कि आप श्राप मत दीजिए, सरकार का काम निर्देश देना है, जिसका निर्देश आप दोनों मंत्री दे रहे हैं, वही काफी है। श्राप देना इधर के लोगों का काम है, उधर के लोगों को श्राप देने दीजिए। महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जो भूलेगा, वह भारत को नहीं जानता है। इसलिए मैं पुनः इस सरकार के निर्णय की प्रशंसा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 26th November, 2014 at 11 a.m.

18.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, November 26, 2014/Agrahayana 5, 1936 (Saka).

* Eदथ्त्ऱ्र्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्द्दद द्ढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् द्द्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द ठ्ठत्र्थ्.

* Eदथ्त्ऱ्र्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्द्दद द्ढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् द्द्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द घ्द्वदर्ठ्ठडत्.

* च्द्रड्ढड्ढहण् ठ्ठम्र् थ्ठ्ठत्ड्ड द्द ण्ड्ढ ठ्ठडथ्ड्ढ

* च्द्रड्ढड्ढहण् ठ्ठम्र् थ्ठ्ठत्ड्ड द्द ण्ड्ढ ठ्ठडथ्ड्ढ

* च्द्रड्ढड्ढहण् ठ्ठम्र् थ्ठ्ठत्ड्ड द्द ण्ड्ढ ठ्ठडथ्ड्ढ.

* ग्द्दध्ड्ढड्ड द्य्र्ण् ण्ड्ढ द्धड्ढहद्दड्र्ढदड्डठ्ठय्त्द्दद द्ढ ण्ड्ढ घ्द्धड्ढत्ड्डड्ढदद्य्.

* Eदथ्त्ऱ्र्ण् य्द्धठ्ठदथ्ठ्ठय्त्द्दद द्ढ ण्ड्ढ म्द्रड्ढड्ढहण् द्द्धश्र्त्दठ्ठथ्न्र् ड्डड्ढथ्त्ध्ड्ढद्धड्ढड्ड त्द घ्द्वदर्ठ्ठडत्.

* ग्द्दध्ड्ढड्ड द्य्र्ण् ण्ड्ढ द्धड्ढहद्दड्र्ढदड्डठ्ठय्त्द्दद द्ढ ण्ड्ढ घ्द्धड्ढत्ड्डड्ढदद्य्.